न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 04/23 (विविध)
जीसीएमएस संख्या 2023/33

उनवान

1. केशो पत्नी
2. सुल्तान सिंह पुत्र
3. इन्दरवती पुत्री
4. मंजू पुत्री
5. संजू पुत्री

} पौथी समस्त जाति धोबी नि0 ग्राम सिकरौदा तहसील बाडी जिला धौलपुर

.....अपीलांट।

बनाम

1. किन्दर सिंह
2. सुरेश सिंह
3. रणवीर उर्फ राजवीर

} पुत्रगण होतम सिंह समस्त जातिगण ठाकुर निवासी सिकरौदा तह0 बाडी जिला धौलपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बाडी दि0 20.07.2022 प्र.सं. 13/21 उनवानी किन्दर सिंह बनाम तहसीलदार बाडी।

उपस्थित :–

1. श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव वकील अपीलांट।
2. श्री राजेन्द्र राणा वकील रैस्पो0।

निर्णय

दिनांक–22.01.2025

1. यह अपील प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 जा0दी0, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय दिनांक 20.07.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 जा0दी0 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 संख्या 04 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सिकरौदा तहसील बाडी को पूर्व में अप्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 04 ने एक प्रकरण अंतर्गत धारा 175 आरटीएक्ट प्रस्तुत कर सिवायचक करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.04.2001 से विवादित आराजी को सिवायचक घोषित करते हुये तहसीलदार बाडी को विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज करने के निर्देश दिये। जिस पर तहसीलदार बाडी ने विवादित आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया। परन्तु अप्रार्थी अपीलाण्ट ने रैस्पो0 संख्या 04 से साज कर विवादित आराजी को पुनः अपने नाम दर्ज करा लिया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2022 से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि रैस्पो0 01 लगायत 03 को धारा 144 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि व्यथित व्यक्ति ही प्रार्थना पत्र धारा 144 जा0दी0 का प्रस्तुत कर सकता है। यह है कि रैस्पो0 आदेश/डिक्री के अधीन कोई लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। यह है कि नामान्तकरण संख्या 1090 वाके ग्राम सिकरौदा तहसील बाडी धौलपुर माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशो की पालना में विधिवत खोला गया है। इस बाबत् किसी को भी प्रत्यारव्यान बाबत् आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। विवादित भूमि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2001 से सिवायचक दर्ज की गयी थी एवं राजस्व अभिलेख में उक्त आदेशो की अनुपालना में सिवाचक दर्ज भी हो चुकी थी। परन्तु अपीलाण्ट ने रैस्पो0 संख्या 04 से साज कर विवादित आराजी को पुनः अपने नाम दर्ज करा लिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि विवादित आराजी के पोथी धोबी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड थे। परन्तु कब्जा होतम ठाकुर जो कि सवर्ण जाति का है, का था। जिसके विरूद्ध तहसीलदार ने धारा 42 का उल्लघंन मानते हुये धारा 175 आरटीएक्ट के तहत प्रकरण तैयार कर न्यायालय सहायक कलक्टर बाडी को प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षो की सुनवाई के उपरान्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जाति के खातेदार की आराजी पर सवर्ण जाति का कब्जा सिद्ध होने पर विवादित आराजी को आदेश दिनांक 23.12.1986 से सिवायचक घोषित कर दिया तथा पोथी के प्रार्थना पत्र पर विवादित आराजी पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील होतम ठाकुर ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 07.11.1990 को खारिज हुयी। उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत की गयी, जो भी निरस्त हुयी। चूंकि विवादित आराजी अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाडी के आदेश दिनांक 23.12.1986 से वर्तमान तक सिवायचक दर्ज है एवं कब्जेधारी सवर्ण जाति होतम ठाकुर के विरूद्ध 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये उसे विवादित आराजी से बेदखल किया जा चुका है। इस प्रकार विवादित आराजी पर ना तो अपीलाण्ट एवं ना ही रैस्पो0 का कब्जा साबित है। चूंकि विवादित आराजी सिवायचक घोषित हो चुकी है। अतः दोंनों ही पक्षो के पक्ष में विवादित आराजी बाबत् कोई स्वत्व/हक नहीं बनता है। दौराने बहस अपीलाण्ट का कथन है कि माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशो की पालना में विवादित आराजी बाबत् पुनः नामान्तकरण संख्या 1090 से विवादित आराजी पर अपीलाण्ट को गैर खातेदार दर्ज किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं श्रीमान् जिला कलक्टर के आदेशो की पालना में न्यायालय हाजा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2001 की अपील के विचाराधीन रहने के कारण सशर्त पर नामान्तकरण खोला गया था। परन्तु चूंकि विवादित आराजी बाबत् अपीलाण्ट की मूल अपील संख्या 65/17 धारा 223 उनवान सुल्तान सिंह बनाम फिन्दर न्यायालय हाजा से खारिज हो चुकी है एवं उनके ना तो विवादित आराजी में कोई स्वत्व/हक पाये गये हैं एव ना ही उनका विवादित आराजी पर तहसीलदार बाडी के रिसीवर नियुक्त होने के कारण कब्जा काश्त पाया गया है एवं विवादित आराजी वर्तमान में दिनांक 23.12.1986 से सिवायचक दर्ज है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र धारा 144 स्वीकार किया गया है। जिसमें हम हमारे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय दिनांक 20.07.2022 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भरतपुर